रजिस्ट्री सं. जी-3/डी एल (एन) 04/0009/2003-05 REGD. No. G-3/DL (N)-04/0009/2003—05

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-सा.-27082022-238428
SG-DL-W-27082022-238428

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 5] दिल्ली, अगस्त 19— अगस्त 25, 2022, बृहस्पतिवार /श्रावण 28—भाद्र 3, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि.सं. 226
No. 5] DELHI, AUGUST 19—AUGUST 25, 2022, THURSDAY/SHRAVANA 28— BHADRA 3, 1944 [N.C.T.D. No. 226

भाग II खण्ड 1
PART II—Sec. 1

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन

Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters; reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 18 अगस्त, 2022

NO. CEO/COE/102(104)/2019/23076.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

"भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2022

सं. 76/भा.नि.आ./आदेश/क्षे./उ.अनु.-2/दि.-वि.स./21/2020.—यतः, आयोग ने दिनांक **14.01.2020** की अपनी अधिसूचना के द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली के **21-मटिया महल विधानसभा** निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और **श्री शोएबउद्दीन** ने पूर्वोक्त निर्वाचन **निर्दलीय** अभ्यर्थी के रूप में लड़ा था;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या तो स्वयं या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा,वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है और उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दर्ज कराएगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी।

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961, के नियम 89 (2) के अधीन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के दिनांक **26.05.2020 के** पत्र सं. **सीईओ/सीओई/102/(77)/डीएलए-20/गोपनीय रिपोर्ट/2020/37927** के जरिए, प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रीय जिला, की प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, रा.रा.क्षे. दिल्ली के **21-मटिया महल दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री शोएबउद्दीन** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रीय जिला और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर, श्री **शोएबउद्दीन** को दिनांक **28.09.2020** को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक **28.09.2020** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **श्री शोएबउद्दीन** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे न प्रस्तुत कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और यह भी कि निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, श्रीशोएबउद्दीन को उक्त नोटिस दिनांक **05.10.2020** को तामिल कराया गया था औरअभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद, **एसडीएम(ई), केन्द्रीय जिला** द्वारा दिनांक **13.10.2020** के अपने पत्र सं.**डीईओ/सी/75/निर्वाचनव्यय /डीएलए-20/1150** द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी।

और यतः, एसडीएम (निर्वाचन), केन्द्रीय जिला, दिल्ली ने **दिनांक 03.11.2020** के अपने पत्र सं. **डीईओ/सी/75/निर्वाचनव्यय/डीएलए-20/1273** द्वारा सूचित किया कि **श्री शोएबउद्दीन** ने अनेक विसंगतियों के साथ दिनांक **12.10.2020** को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत किया है। आयोग ने अपने पत्र सं. **76/डीएल-एलए/21/2020/3356 दिनांक 29.11.2021** के माध्यम से श्री शोएबउद्दीन को विलंब के लिए कारण/औचित्य देने और उक्त त्रुटियों को सुधारने का अवसर प्रदान किया।

और यतः, श्री **शोएबउद्दीन** ने पत्र सं. **एफ.डीईओ/सी/75/निर्वाचन व्यय/डीएलए-20/भाग-I/154, दिनांक 18.01.2022** के माध्यम से प्राप्त अपने अभ्यावेदन, दिनांक **17.01.2022** के माध्यम से न तो अपनी असफलता के लिए कोई उचित कारण या औचित्य प्रदान किया है न ही अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे को सुधारा है।

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री शोएबउद्दीन** निर्वाचन व्यय का लेखे के विसंगतियों के निवारण दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या औचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियमके द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या औचित्य नहीं है,तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की काला वधि के लिए निरर्हित होगा;

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य के **21-मटिया महल** रा.रा.क्षे. दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन,

2020 के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्री शोएबउद्दीन**, निवासी,**4329, मिर्जा अहमद अली मार्ग, कुचा पंडित, लाल कुआँ, दिल्ली 110006**, को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है

आदेश से,

अजय कुमार, प्रधान सचिव"

आदेश से

सतेंद्र कुमार, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 18th August, 2022

No. CEO/COE/102(104)/2019/23076.—The following is published for general information:—

''SECRETARIATE OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 18th August, 2022

No. 76/ECI/ORD/TERR/NS-II/DL-LA/21//2020.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi from **21-Matia MahalAssembly Constituency** vide its Notification dated **14.01.2020** and **Shri Shoaibuddin**had contested the aforesaid election, as an **Independent Candidate.**

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between the date on which he has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive and as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge with the District Election Officer (DEO) account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or by his election agent under Section 77.

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer, Central District, NCT of Delhi through the Chief Electoral Officer's letter No. **CEO/COE/102/(77)/DLA-20/Scr.Rep/2020/37927, dated 26-05-2020**, **Shri Shoaibuddin,** contesting candidate from **21-Matia MahalAssembly Constituency** of NCT of Delhi, has failed to lodge an account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Central District, Delhi, NCT of Delhi and the Chief Electoral Officer, Delhi, a Show Cause notice dated **28-09-2020** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Shoaibuddin**for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **28-09-2020**, **Shri Shoaibuddin**was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was made to serve to **Shri Shoaibuddin**on **05-10-2020**and acknowledgment receipt obtained from the candidate was submitted to the Commission by **SDM(E) Central District** vide his letter **No. DEO/C/75/E.Expenses/DLA-20/1150, dated 13-10-2020.**

AND WHEREAS, the SDM(Election), district Central, Delhi vide its letter No. **DEO/C/75/E. Expenses/DLA-20/1273, dated 03-11-2020** informed that Sh. Shoaibuddin has submitted his account of election expenses on 12-10-2020 with a number ofdiscrepancies. The Commission vide its letter No. 76/DL-LA/21/2020/3356 dated 29-11-2021 provided an opportunity to Shri Shoaibuddin to give reasons/justification for the delay and to rectify the said defects.

AND WHEREAS, Shri Shoaibuddin vide his representation dated 17-01-2022 received through the letter No.**F.DEO/C/75/E.Expenses/DLA-20/Pt. I/154, dated 18-01-2022** neither provided good reason or justification for his failure nor rectified the account of his election expenses.

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Shoaibuddin**has failed to rectify the discrepancy of account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Shoaibuddin**resident of **4329, Mirza Ahmad Ali Marg, Kucha Pandit, Lal Kuan, Delhi 110006** the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi, 2020 from **21-Matia Mahal** Assembly Constituency of NCT of Delhi to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By Order,

AJOY KUMAR, Principal Secy.''

By Order

SATENDRA KUMAR, Assistant Chief Electoral Officer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.08.27 13:59:33 +05'30'